02/2013

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 495594

न्यास पत्र

हमकि प्रेमचन्द जायसवाल पुत्र श्री उत्तम चन्द जायसवाल निवासी गोला रोड, ग्राम व पोस्ट–कौड़ीराम, तहसील–बासगांव, जिला–गोरखपुर।

व

रोहित जायसवाल पुत्र श्री प्रमोद कुमार जायसवाल निवासी मकान नं0–151, ग्राम व पोस्ट–कौड़ीराम, तहसील–बासगांव, जिला–गोरखपुर।

व

प्रदीप कुमार जायसवाल पुत्र श्री उत्तम चन्द जायसवाल निवासी बड़हलगंज रोड, ग्राम व पोस्ट–कौड़ीराम, तहसील–बासगांव, जिला–गोरखपुर के है।

विदित हो कि हम मुकिरान समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिरान के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिरान की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख–शान्ति, आपसी सद्भाव, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के

(2)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 495595

साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं- भोजन, शिक्षा,उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों में उद्यमिता का विकास कर उनके योग्यता एवं शैक्षिक उद्यमिता के अनुरूप तकनीकी, प्रबन्धन एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाँति, धर्म और सम्प्रदाय,कहीं से भी बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभासम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाय। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10000/-(दस हजार) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की मैं व्यवस्था करता रहूंगा। हम मुकिरान ने अपने द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी:-

1. यह कि हम मुकिरान द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम **"उत्तम सुन्दरी एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट"** होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे **"न्यास"** अथवा **"ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है ।
2. यह कि हम मुकिरान द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय **ग्राम व पोस्ट-कौड़ीराम, तहसील-बासगांव, जिला-गोरखपुर** में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के

प्रेमचन्द Rohit Jaiswal प्रियवगमयप्रसाद

(3)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 495596

बाबत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिरान न्यास मजकूर के संस्थापक होगें तथा प्रथम पक्ष प्रेमचन्द जायसवाल ट्रस्ट के सचिव व प्रबन्धक, द्वितीय पक्ष रोहित जायसवाल ट्रस्ट के अध्यक्ष व तृतीय पक्ष प्रदीप कुमार जायसवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कहे जायेंगे, सम्मिलित रूप से हम मुकिरान को ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी भी कहा जायेगा। हम मुकिरान द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का न्यासी/ट्रस्टी नामित किया जाता है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा, जिनकी कुल संख्या 3 से कम तथा 9 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिरान द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिरान द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी जो कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष के हैं, को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्टमण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिरान द्वारा ट्रस्टी के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया गया है:-

1. श्री उत्तम चन्द जायसवाल पुत्र स्व0 किशुन जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट- कौड़ीराम, जिला-गोरखपुर।
2. श्रीमती सुमन बाला जायसवाल पत्नी श्री प्रदीप कुमार जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट- कौड़ीराम, जिला-गोरखपुर।

प्रेमचन्द Rohit Jaiswal प्रदीप जायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 495597

3. श्रीमती गीता जायसवाल पत्नी श्री प्रमोद कुमार जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट–कौड़ीराम, जिला–गोरखपुर।

4. यह कि हम मुकिरान द्वारा **"उत्तम सुन्दरी एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट"** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

1. समाज के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं एवं क्लबों की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नात्तकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा रोजगारपरक व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5. शिक्षा प्रचार–प्रसार, उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा, तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना तथा इसके सम्बन्ध में गठित सांविधिक निकायों/

प्रेमचन्द   Rohit Jaiswal   प्रदीपजायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 495598

विश्वविद्यालयों व बार काउन्सिल आफ इण्डिया तथा एन0सी0टी0ई0 इत्यादि से नियमानुसार मान्यता प्राप्त करना।

6. समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

7. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिये स्व रोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

8. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिग, स्क्रीनिंग, पेन्टिग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

9. खाद्य प्रस्संकरण तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

10. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे–हैण्डी क्राफट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना ।

11. विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 495599

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े गरीब निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

12. वृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
13. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हे सरकारी सहायता दिलाना।
14. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
15. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
16. ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, की जानकारी के लिये जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।
17. नशा–मुक्ति हेतु निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
18. समाज में व्याप्त बुराईयों बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग–भेद, अस्पृश्यता व जाति–पात की भावना, स्वैच्छिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
19. युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना तथा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

प्रेमचन्द्र Rohit Jaiswal प्रदीप जायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 495600

20. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना।
21. विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।
22. एड्स, कैन्सर, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा इस हेतु होमियापैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व पैरामेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
23. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली, सड़क निर्माण, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।
24. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना।
25. प्राकृतिक आपदा जैसे-हैजा,प्लेग,भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना।
26. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
27. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।
28. किसी अन्य सरकारी अथवा एन0जी0ओ0, एसोसियेशन, ट्रस्ट के क्रिया-कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हों।

प्रेमचन्द Rohit Jaiswal प्रदीपजायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 457648

29. सरकारी तथा गैर सरकारी / लोगों / संस्थाओं / तंत्रों / कम्पनी / दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना।
30. ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला / प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
31. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. **न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्यः**

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं एवं क्लबो की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियाँ एवं उपसमितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन, सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

प्रेमचन्द Rohit Jaiswal प्रदीपकुमारसवाल

(15)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 495567

घोषणा

"उत्तम सुन्दरी एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट" की तरफ से हम **प्रेमचन्द जायसवाल, रोहित जायसवाल एवं श्री प्रदीप कुमार जायसवाल** मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस ट्रस्ट का विधिवत् गठन हो सके।

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टीगण

हस्ताक्षर साक्षीगणः

प्रेमचन्द　　Rohit Jaiswal　　प्रदीप जायसवाल

दिनांक (12.2012)

23-01-2013

मजमूनकर्ता

शोभनाथ यादव पुत्र श्री रामलाल यादव साठ हरलाल

प्रमोद कुमार जायसवाल S/o उत्तमचन्द मोहन

[illegible]

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 457649

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक स्थिति में उसकी संचालन गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, चिकित्सालयों, व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक होने पर ट्रस्ट विलेख में तीनों मुख्य ट्रस्टीगण के आम सहमति की स्थिति में ट्रस्ट मण्डल के 2/3 बहुमत से संशोधन की कार्यवाही सम्पन्न करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित अन्य समस्त कार्यों को करना।

6. <u>ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था</u>

(क) <u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–</u>

<u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–</u>

1. ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य ट्रस्टीगण को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में मुख्य ट्रस्टीगण में से किसी के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व उनकी मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष न्यासियों को मृत मुख्यट्रस्टी के विधिक

प्रेमचन्द Rohit Jaiswal प्रदीप जायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 457650

उत्तराधिकारियों में से ट्रस्ट के लिए योग्य एवं हितैषी उत्तराधिकारी की बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्यट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

2. मुख्य ट्रस्टीगण में से किसी मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा। तीनों मुख्य ट्रस्टीगण में से किसी के भी जीवित न होने की स्थिति में तत्कालीन ट्रस्टमण्डल के ट्रस्टीगण के द्वारा ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए दो तिहाई बहुमत से किसी मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट के सचिव व प्रबन्धक के रूप में चयनित किया जा सकेगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा, लेकिन ट्रस्ट मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्ति होने पर ट्रस्ट मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी, यदि किसी ट्रस्टी के एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो उनमें से योग्य एवं ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को ट्रस्ट में सम्मिलित किये जाने का निर्णय ट्रस्ट मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

प्रेमचन्द Rohit Jaiswal प्रदीपजायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 457652

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशनः

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/ सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी सचिव द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।
3. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा मुख्य प्रबन्धक व अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।
4. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना तथा बैठकों की तिथि को अनुमोदित, स्थगित व निरस्त करना।

प्रेमचन्द   Rohit Jaiswal   प्रदीप जायसवाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 457653

8. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना / कराना।
3. ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को अध्यक्ष की सहमति से आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
4. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
5. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा इस कार्य के लिए ट्रस्ट मण्डल की सहमति से अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
7. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।

9. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के नाम बैंक में खोले गये खाते में जमा करना तथा आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना।
2. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।
3. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा व रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना और उसकी रिपोर्ट ट्रस्टमण्डल के समक्ष रखना।
4. ट्रस्ट के वित्तीय हितों की सुरक्षा के वावत आवश्यक कार्य करना।

प्रेमचन्द Rohit Jaiswal प्रदीप जायसवाल

(13)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 457654

10. **ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था**

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीकृत /मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियाँ निहित होगी। ट्रस्ट का खाता तीनो मुख्य ट्रस्टीगण के हस्ताक्षर से खोला जायेगा, जिसका संचालन मुख्य ट्रस्टी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष तथा तृतीय पक्ष में से सचिव सहित किसी एक अन्य मुख्य ट्रस्टीगण के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। खाते के संचालन के लिए सचिव का हस्ताक्षर की अनिवार्यता होगी।

11. **ट्रस्ट के अभिलेख :**

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व तीनों मुख्य ट्रस्टीगण का संयुक्त रूप से होगा। प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा रजिस्टर रखा जायेगा।

12. **ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था:–**

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:–

1. यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष संयुक्त रूप से अधिकृत होंगे।
2. यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या

प्रेमचंद Rohit Jaiswal [illegible]

(14)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 495566

अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को नियमानुसार विधिक अनुमति प्राप्त कर किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

3. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी में से प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
4. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी ।
5. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
6. ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।
7. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्तें लागू होंगी।

प्रेमचन्द Rohit Agarwal प्रदीप अग्रवाल

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

UTTAM SUNDARI EDUCATIONAL
WELFARE TRUST

23/01/2013
Permanent Account Number

AAATU6087F